पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़

कक्षा-1 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में आवेदन के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्देश-

1-कृपया अपने सेवारत विभागों से पंजीकरण से पहले अपनी प्राथमिकता सेवा-श्रेणी की जाँच करें और पुष्टि करें। केवीएस प्रवेश दिशानिर्देश 2025-26 के अनुसार, सिविल (i .e-पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़) / रक्षा क्षेत्र के तहत बच्चों के प्रवेश के लिए कर्मचारियों को निम्नलिखित पांच प्राथमिकता सेवा श्रेणियों का वर्णन किया गया है।

प्राथमिकता-श्रेणी -1- स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चे और पूर्व सैनिकों के बच्चे। इसमें विदेशी राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे, जो प्रतिनियुक्ति पर आते हैं या सरकार द्वारा निमंत्रण पर भारत में स्थानांतरित होते हैं।

प्राथमिकता श्रेणी -2- स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/भारत सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

प्राथमिकता श्रेणी -3- स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे।

प्राथमिकता श्रेणी -4- स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा संस्थान के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

प्राथमिकता श्रेणी -5- किसी भी अन्य श्रेणी के बच्चे जो भारत में रहते हैं। विदेशी नागरिकों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची में भारतीय नागरिकों के बच्चे नहीं हैं.

नोट –(अ)--स्थानांतरणीय कर्मचारी वे कर्मचारी माने जाएंगे जिनका 31/3/2025 से पूर्व सात वर्षों मे कोई भी स्थानांतरण हुआ है

नोट -(ब)- यदि आप ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान गलत सेवा श्रेणी दर्ज करते हैं, तो आपका आवेदन अस्वीकृत या निरस्त हो सकता है।

2- ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के संबंध में **बच्चे के नाम का** ओबीसी-एनसीएल प्रमाण पत्र बनवा लें। यह प्रमाणपत्र 31/03/2022 के बाद का बना होना चाहिए।

3- बच्चे के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र आवश्यक है यदि लागू हो तो.

4.ईडब्ल्यूएस/बीपीएल प्रमाण पत्र यदि लागू हो, तो 31/09/2024 के बाद का बना होना चाहिए।

5. आरटीई छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान भरा जाने वाला आवासीय पता, आवास प्रमाण पत्र के साथ, के.वी. से पांच किलोमीटर की दूरी के अंदर में होना चाहिए।

6. बच्चे और माता-पिता के नाम की वर्तनी बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के अनुसार होनी चाहिए।